

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक B/5871
/चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 23/09/2021

श्री सुशांत हुद्दार, तत्कालीन प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल, गैस त्रासदी, भोपाल (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, रायसेन) की सेवाए प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग को वापिस प्राप्त होने के फलस्वरूप चयनग्रेड वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में उनका वेतन निर्धारण निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

चयन ग्रेड वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	देय दिनांक
1.	2.
<u>63070.00/-</u> 09.10.2017	01.10.2017
<u>64450.00/-</u> 09.10.2018	01.10.2018 (काल्पनिक)
<u>65830.00/-</u> 09.10.2019	01.10.2019 (काल्पनिक)
<u>67210.00/-</u> 09.10.2020	01.10.2020 (काल्पनिक)
<u>67210.00/-</u> 19.07.2021	19.07.2021 (काल्पनिक) प्रतिनियुक्ति से वापिस लौटने के फलस्वरूप देय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 09.10.2021 होगी।

नोट:- 1. श्री हुद्दार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी दिनांक 18.04.2018 से दिनांक 18.07.2021 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने से उक्त अवधि की काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत।

2. "मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत दि. 09.10.2020 की वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी तथा स्थितियों सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

Sd/-
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री सुशांत हुद्ददार, पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन


रजिस्ट्रार(एम)